

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(46)वित्त/कर/2024

जयपुर, दिनांक .15 JAN 2025

आदेश


राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 (समय समय पर संशोधित) के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2024-25 की दिनांक 08.01.2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में सम्पन्न बैठक की अभिशंषा पर निम्नांकित वाणिज्यिक कर अधिकारियों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर सहायक आयुक्त के पद पर उनके समक्ष अंकित रिक्ति उपलब्धता तिथि से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	वर्ग	रिक्ति दिनांक
1.	श्री रघुवीर सिंह गोस्वामी		01.04.2024
2.	श्री हरिओम मीणा	अजजा	01.04.2024
3.	श्री राजश्री मीणा	अजजा	01.04.2024
4.	श्री सत्यनारायण मीणा	अजजा	01.04.2024
5.	श्री तेजराम मीणा	अजजा	01.04.2024
6.	श्रीमती हेमलता पालीवाल	अजा	01.04.2024
7.	श्री हेमन्त चौहान		01.04.2024
8.	श्रीमती सीमा शर्मा		01.06.2024
9.	श्री वासुदेव शर्मा		01.06.2024
10.	श्री पंकज पवार		01.06.2024
11.	श्री बिहारी लाल दर्जी		01.07.2024
12.	श्री रविन्द्र सिंह चुण्डावत		31.08.2024
13.	श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी		01.09.2024
14.	श्री प्रदीप कुमार अरोडा		01.09.2024
15.	श्री अजय कुमार मीणा	अजजा अनारक्षित पद के विरुद्ध	18.09.2024
16.	श्री कृष्ण कुमार		01.10.2024
17.	श्री विश्वनाथ कौशिक		01.02.2025
18.	श्रीमती विभा श्रीमाल		01.02.2025

उपरोक्त अधिकारी (सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के अतिरिक्त) अपने वर्तमान पदों पर, इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यक क्रमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का कार्यभार सम्पादित करेंगे, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता आदि देय नहीं होगा। इन पदों के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में आवश्यकतानुसार आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।


यह पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान) महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव, वित्त(कर)